

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-१) विभाग

ब्रम्मक प. १(१३१)एम.ई./ग्रुप-१/२०१७

जयपुर, दिनांक ११ DEC २०१७

आदेश

इस विभाग के आदेश दिनांक ०३.०८.२०१७ द्वारा डॉ० मधुलता अग्रवाल, सहायक आचार्य, जिरियाट्रिक मेडिसिन के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में किया गया था। डॉ० अग्रवाल को आदेश जारी होने की दिनांक से १५ दिवस के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति देनी थी।

डॉ० अग्रवाल को स्वयं के निवेदन पर कार्यग्रहण हेतु एक माह का कार्यग्रहण करने में अभिवृद्धि प्रदान की गई। तत्पश्चात् इन्हें द्वारा १५ दिवस में कार्यग्रहण करने हेतु आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया कि यदि १५ दिवस में कार्यग्रहण नहीं करते हैं तो इनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावें। इसके उपरान्त भी डॉ० अग्रवाल द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया। उक्त वस्तुस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि डॉ० मधुलता अग्रवाल नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर नियुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं।

डॉ० मधुलता अग्रवाल के निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।


अतः मधुलता अग्रवाल के पक्ष में जारी उपरोक्त वर्णित नियुक्ति आदेश दिनांक ०३.०८.२०१७ को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

()
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि विभागित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज० जयपुर।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को विभाग के आदेश ब्रम्मक १(१३१) एम.ई.०५०/ग्रुप-१/२०१७ दिनांक ०३.०८.२०१७ के सन्दर्भ में।
- अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
- डॉ० मधुलता अग्रवाल पुत्री श्री सुरेश कुमार चौधरी, पता:-४ ई, बी-१०५, ग फ्लोर,
पुष्पान्जली भेरिज गार्डन के पास, आर्य नगर विस्तार, मुख्लीपुरा, जयपुर- ३०२०३९ (राज०)
(रजिस्टर्ड डाक)
- रक्षित पत्रावली।


(महेंद्र लाल)
सहायक शासन सचिव